

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सहरसा।

पटना, दिनांक-8/03/19

विषय:- सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत सहरसा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु पूर्व से स्वीकृत कुल ₹5490.20 लाख (चौवन करोड़ नब्बे लाख बीस हजार रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु देनदारी की राशि में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत सहरसा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से कुल ₹5490.20 लाख (चौवन करोड़ नब्बे लाख बीस हजार रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना को विभागीय राज्यादेश सं०- 306, दिनांक- 25.03.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०-307, दिनांक-25.03.2017 द्वारा ₹200.00 लाख (पाँच करोड़ रु०) मात्र एवं आवंटनादेश सं०- 150, दिनांक- 21.03.2018 द्वारा ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र अर्थात् योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक कुल ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रु०) मात्र आवंटित किया जा चुका है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा के पत्रांक- 246, दिनांक- 01.03.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के लिए पूर्व में आवंटित ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रु०) का व्यय हो चुका है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-1.4.6..... दिनांक-8/3/19..... के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्तम्भ- 6 के अनुरूप कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि	अवशेष राशि [4-(5+6)]
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद्, सहरसा	सहरसा स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना।	5490.20	1200.00	300.00	3990.20

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र।

4. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।
5. आवंटित कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।
6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. उक्त आवंटित कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215027890101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
9. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08-03-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2017 104 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 8/02/19

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08-03-19

सरकार के विशेष सचिव।

✓

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2017 146

/न०वि०एव०आ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 8/3/19

विषय:- सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत सहरसा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु पूर्व से स्वीकृत कुल ₹5490.20 लाख (चौवन करोड़ नब्बे लाख बीस हजार रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु देनदारी की राशि में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत सहरसा शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से कुल ₹5490.20 लाख (चौवन करोड़ नब्बे लाख बीस हजार रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना को विभागीय राज्यादेश सं०- 306, दिनांक- 25.03.2017 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०-307, दिनांक-25.03.2017 द्वारा ₹200.00 लाख (पाँच करोड़ रु०) मात्र एवं आवंटनादेश सं०- 150, दिनांक- 21.03.2018 द्वारा ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र अर्थात् योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक कुल ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रु०) मात्र आवंटित किया जा चुका है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा के पत्रांक- 246, दिनांक- 01.03.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के लिए पूर्व में आवंटित ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रु०) का व्यय हो चुका है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्तम्भ- 6 के अनुरूप कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)						
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि [4-(5+6)]
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद्, सहरसा	सहरसा स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना।	5490.20	1200.00	300.00	3990.20

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा।
5. स्वीकृत कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बुडको को हस्तांतरित की जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।
6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. उक्त स्वीकृत कुल ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215027890101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
9. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

✓

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-01/2017 के पृष्ठ सं०-.....३०...../टि० पर दिनांक-07/03/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....३१...../टि० पर दिनांक-07/03/2019 को प्राप्त है।
13. इसकी सूचना आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

07/03/19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2017 146 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-8/3/19

प्रतिलिपि:— आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/19

सरकार के विशेष सचिव।